

मूल हिन्दी

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2398  
03 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास

2398. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत कितने मकान स्वीकृत, निर्माणाधीन और निर्मित किए गए हैं;

(ग) लाभार्थियों को प्रदान किए गए आवासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-24 के दौरान शहरी क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री कौशल किशोर)

(क) 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जून 2015 से सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को सभी मौसमानुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए "सभी के लिए आवास" मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करके प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना इसके दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड के आधार पर चार घटकों अर्थात्, लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी); साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी); स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। लाभार्थी उपरोक्त चार घटकों में से किसी एक में लाभ प्राप्त कर सकता है। पीएमएवाई-यू के तहत मध्य आय समूह (एमआईजी) के लिए सीएलएसएस शुरू में 01.01.2017 से एक वर्ष के लिए था और बाद में इसे बढ़ाकर

31.03.2021 तक कर दिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए सीएलएसएस घटक 31.03.2022 तक था।

पीएमएवाई-यू के तहत कुल 118.90 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 99.01 लाख आवास ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए, 13.81 लाख आवास एलआईजी लाभार्थियों के लिए और 6.08 लाख आवास एमआईजी लाभार्थियों के लिए हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किये गये आवासों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-11 में दिया गया है।

(घ) पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 24.07.2023 तक, पीएमएवाई-यू के तहत 118.90 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 112.25 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है; जिनमें से 75.51 लाख आवास पूरे हो चुके हैं और लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, को वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए, सीएलएसएस घटक को छोड़कर, 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 03-08-2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2398 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

पीएमएवाई-यू के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों का ब्यौरा

वित्त वर्ष	स्वीकृत आवास (संख्या)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)*	पूर्ण/ सुपुर्द किए गए आवास (संख्या)*
2020-21	16,97,710	16,17,056	14,50,101
2021-22	18,39,250	16,87,377	10,31,343
2022-23	10,05,588	12,99,601	14,81,788
2023-24	1,98,924	2,25,145	2,43,058
<b>कुल</b>	<b>47,41,472</b>	<b>48,29,179</b>	<b>42,06,290</b>

\* इस अवधि के दौरान निर्माणाधीन और पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों में, पिछले वर्षों में स्वीकृत किए गए निर्माणाधीन, पूर्ण हो चुके आवास शामिल हैं।

\*\*\*\*\*

03-08-2023 के लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2398 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ॥  
पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत, पूर्ण और कब्जा वाले आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों के लिए आवासों का ब्यौरा (संख्या)		
		स्वीकृत	पूर्ण/सुपुर्द किए गए	
1	आंध्र प्रदेश	21,32,432	8,08,278	
2	बिहार	3,23,356	1,11,328	
3	छत्तीसगढ़	3,02,663	1,91,617	
4	गोवा	3,146	3,144	
5	गुजरात	10,54,868	8,80,269	
6	हरियाणा	1,65,034	64,972	
7	हिमाचल प्रदेश	12,991	9,526	
8	झारखंड	2,29,156	1,27,189	
9	कर्नाटक	6,38,121	3,18,526	
10	केरल	1,65,557	1,14,999	
11	मध्य प्रदेश	9,54,009	6,93,663	
12	महाराष्ट्र	14,02,629	8,10,940	
13	ओडिशा	1,90,384	1,32,522	
14	पंजाब	1,32,235	74,984	
15	राजस्थान	2,89,446	1,73,301	
16	तमिलनाडु	6,81,277	5,30,350	
17	तेलंगाना	2,50,084	2,24,072	
18	उत्तर प्रदेश	17,01,389	12,87,307	
19	उत्तराखंड	64,856	31,698	
20	पश्चिम बंगाल	6,82,577	3,61,799	
<b>उप- कुल (राज्य):-</b>		<b>113,76,210</b>	<b>69,50,484</b>	
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	6,465
22		असम	1,76,643	85,230
23		मणिपुर	56,037	11,219
24		मेघालय	4,758	1,116
25		मिजोरम	39,811	7,050
26		नागालैंड	31,968	14,622
27		सिक्किम	594	209
28		त्रिपुरा	89,068	64,906
<b>उप- कुल (पूर्वोत्तर राज्य):-</b>		<b>4,07,378</b>	<b>1,90,817</b>	
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीप (यूटी)	376	47
30		चंडीगढ़(यूटी)	1,256	1,256
31		दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन दीव (यूटी)	10,468	9,079
32		दिल्ली (यूटी)	29,976	29,976
33		जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	49,141	19,299
34		लद्दाख (यूटी)	1,307	674
35		लक्षद्वीप (यूटी)	-	-
36		पुदुचेरी(यूटी)	14,185	8,673
<b>उप- कुल (संघ राज्य क्षेत्र):-</b>		<b>1,06,709</b>	<b>69,004</b>	
<b>कुल योग:-</b>		<b>118.90 लाख</b>	<b>75.51 लाख *</b>	

\*इसमें पीएमएवाई-यू मिशन अवधि के दौरान पूर्व जेएनएनयूआरएम योजना के पूर्ण (3.41 लाख) आवास शामिल हैं।

\*\*\*\*\*